जोधपुर नगर निगम,जोधपुर

क्रमांकः–राजस्व/अग्नि/2014/1566 दिनांकः– 21/11/2014

श्रीमान् प्रबंधक
मंत्रा लाईफ स्टाईल होम्स प्रा.लि.
यूनिक एपेक्स टावर,
पाल बाई पास रोड, जोधपुर।

विषय :– अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत् लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मंत्रा लाईफ स्टाईल होम्स प्रा.लि. यूनिक एपेक्स टावर पाल बाई पास रोड, खसरा नं. 550/1,2,3, धिनाणा की ढाणी जोधपुर में स्थित निमार्णधीन बहुमंजिला ग्रुप हाऊसिंग प्रोजेक्ट यूनिक एपेक्स टावर का CFO द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। संस्था की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित शर्तो की पालना पर 35 मीटर अस्थायीकालीन (Provisional) अग्निशमन अनापति निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि हेतु जारी की जाती है :–

1. भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही किया जायेगा एवं भविष्य में किसी प्रकार का निर्माण बिना विभागीय अनुमति के नही किया जायेगा। सेटबैंक पूर्णरूप से खुला रखा जायेगा व सेटबैक का किसी प्रकार से उपयोग नही किया जायेगा।
2. यह है कि भवन के प्रथम तल पर अतिछाजन किये जाने पर अतिछाजन की न्यूनतम ऊचाई 3.9 मीटर रखी जायेगी।
3. यह है कि भवन के उपयोग में लिये जाने पर किसी भी भाग में अनावश्यक एवं अनुपयोगी सामग्री का भंडारण नहीं किया जायेगा तथा भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखी जायेगी।
4. यह है कि भवन निर्माण पूर्ण होने पर किसी भी भाग में ठोस/तरल अथवा गैसीय ज्वलनशील सामग्री का भंडारण नही किया जायेगा।
5. यह है कि उक्त भवन का निर्माण पुरे होने पर अग्निशमन हेतु निर्मित वॉटर टेंको को हर समय पूर्ण रूप से भरा हुआ रखा जाएगा, तथा उन पर वॉटर लेवल इंडिकेटर लगा दिया जाएगा।
6. यह है कि निर्माणधीन भवन में राष्ट्रीय भवन मानक के प्रावधान एवं विभागीय निर्देशानुसार हाईड्रेन्ट, हॉजरील, पम्पींग, कन्ट्रोल पेनल आदि सुरक्षा संसाधनों का समयबद्ध निरीक्षण व रख रखाव किया जाएगा।
7. यह है कि उक्त भवन का निर्माण पूर्ण होने पर तथा उपयोग किये जाने पर पूरे भवन में कार्यरत व्यक्तियों को भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु समय–समय पर जानकारी दी जाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी तथा सुरक्षाकर्मियों को अग्निशमन कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
8. यह है कि उक्त भवन का निर्माण पूर्ण होने तथा उपयोग किये जाने से पूर्व भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु समयबद्ध मौका रिहर्सल भी आयोजित किये जाएगें।
9. यह है कि उक्त भवन का निर्माण पूर्ण होने तथा उपयोग कियें जाने से पूर्व भवन की अग्निसुरक्षा व व्यवस्थाओं के निरीक्षण/रखरखाव प्रशिक्षण हेतु एक अग्निशमक में प्रशिक्षित कार्मिक की नियुक्ति की जाएगी।

10. यह है कि भवन निर्माण में ज्वलनशील पदार्थो का उपयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जावे तथा ज्वलनशील पदार्थो का प्रयोग किए जाने पर अग्नि प्रतिरोधी उपचार किया जावें।
11. यह है कि उक्त भवन के नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश अंकित किए जाएगें।
12. यह है कि उक्त भवन में आवश्यक स्थानों पर निर्देश व निकासी सूचक रेडियम कलर में अंकित किये जाएगें।
13 यह है कि उक्त भवन का निर्माण पूर्ण होने तथा उपयोग किये जाने से पूर्व उक्त भवन मे विद्युत संबंध विच्छेद हेतु प्रत्येक फ्लोर पर स्वीच लगाये जाएंगे तथा मैन कन्ट्रोल पर भी स्वीच लगाया जायेगा।
14. यह है कि आपात स्थिति में फायर पम्प चालू रखने हेतु पॉवर सप्लाई की आपात व्यवस्था उपलब्ध कि जायेगी।
15. यह है कि आपात स्थिति में निकासी मार्गो पर आपात रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध की जायेगी।
16. यह है कि आपात स्थिति में सूचना भवन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को देने हेतु हुटर/पी.ए. सिस्टम/फायर अलार्म की व्यवस्था भवन में उपलब्ध की जायेगी।
17. यह है कि भवन के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रीक पेनल, जनरेटर हेतु भवन में की गई विद्युत फिटींग का निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, विद्युत विभाग से करवा कर एन.ओ.सी. प्राप्त की जायेगी।
18. यह है कि अग्नि सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किसी प्रकार के निर्देश दिए जाने पर उसकी पालना पूर्ण रूप से की जायेगी।
19. यह है कि भवन चालू होने पर भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु आपात योजना की रूपरेखा बनाई जाकर उसकी प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी।
20. यह है कि यह अनापति प्रमाण पत्र भवन निर्माण पूर्ण होने तक मान्य होगी।
21. प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

आयुक्त मुख्यालय
जोधपुर नगर निगम

कमांकः–

दिनांकः–

प्रतिलिपीः–

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।

आयुक्त मुख्यालय
जोधपुर नगर निगम